# कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, नैनीताल वन प्रभाग,नैनीताल।

*E-mail:dfonainital@gmail.com* *Telefax.05942-236790*

पत्रांकः– / 12–1 दिनांक 2 / 1 /2022

सेवा में,

वन संरक्षक,
दक्षिणी कुमाऊँ वृत्त,
उत्तराखण्ड, नैनीताल।

**विषय :–** **जनपद नैनीताल में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (फेज–3) के अन्तर्गत लोहाली से थुवाब्लूक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 4.9875 है0 वनभूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास को प्रत्यावर्तन। (प्रस्ताव संख्या FP/UK/Road/23279/2019)**

**संदर्भ :–** **अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण इन्दिरानगर फौरेस्ट कालोनी, देहरादून की पत्र संख्या 218/FP/UK/ROAD/23279/2016 देहरादून दिनांक 20. 07.2022 एवं कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, पी0एम0जी0एस0वाई0 ज्योलीकोट की पत्र संख्या 807/सि0ख0पी0एम0जी0एस0वाई0/2022–23 दिनांक 19.12. 2022।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के क्रम में संदर्भित पत्र के माध्यम से लगायी गयी आपत्तियों की अनुपालन आख्या निम्न प्रकार प्रेषित की जा रही है –

| शर्त संख्या | विवरण | अनुपालन आख्या |
|---|---|---|
| 1 | शर्त सं0–1 के अनुपालन में मलुवा निस्तारण से सम्बन्धित तकनीकी कठिनाईयों के निराकरण हेतु एन0आई0सी0, नई दिल्ली से सम्पर्क कर उपरोक्तानुसार तकनीकी कठिनाई का निराकरण कर सूचना उपलब्ध कराने का कष्ट करें | प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि (मलुवा निस्तारण प्लान) Part-I Section A1 B2.4 में नाप भूमि पी0आई0यू0 स्तर पर लॉक है, जिसकी सूचना इस कार्यालय के पत्रांक 470/वनभूमि/2018–19 दिनांक 30.08.2018 द्वारा सरंक्षक एवं नोडल अधिकारी देहरादून को एन0आई0सी0 से Open करने हेतु पत्र लिखा गया था। इस क्रम में नोडल देहरादून द्वारा एन0आई0सी0 को अपने पत्रांक 649/FP/UK/ROAD/23279/2016 दिनांक 05.09. 2018 एवं इस कार्यालय के पत्रांक 529/वनभूमि/2021–22 दिनांक 25.06.2021 द्वारा तकनीकी निराकरण करने हेतु लिखा गया। वर्तमान में एन0आई0सी0 नई दिल्ली में मलुवा निस्तारण से सम्बन्धित तकनीकी कठिनाईयों के निराकरण हेतु कार्यवाही गतिमान है। |

**Component Breakup**

| S. No. | Component | Forest Land (Ha.) | Non-Forest Land (Ha.) |
|---|---|---|---|
| 1 | Road Construction | 4.9875 | 1.4504 |
| 2 | Muck Disposal | 0.00 | 0.4921 |
| | **Total** | **4.9875** | **1.9425** |

| | | |
|---|---|---|
| 2 | बिन्दु संख्या 02 के अनुपालन में Saction L-(VI) टोपोशीट अपलोड की गयी है। कृपया डिजीटल में अपलोड करते हुए एवं अन्य Details जैसे species के नाम इत्यादि प्रस्तुत करने का कष्ट करें। | बिन्दु संख्या 02 के अनुपालन में Section L-(VI) टोपोशीट एवं डिजीटल मैप अपलोड की गयी है। प्रस्तावित क्षतिपूरक वृक्षारोपण में तुन, जामुन, बांस, क्वैराल, तेजपात आदि species का प्रयोग वृक्षारोपण में किया जायेगा। |
| 3 | बिन्दु संख्या 03 क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित सिविल सोयम भूमि को आरक्षित वन एवं संरक्षित वन के रूप में अधिसूचित करते हुये सूचना उपलब्ध कराने का कष्ट करें। | क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित सिविल एवं सोयम भूमि को आरक्षित वन एंव संरक्षित वन के रूप में अधिसूचित करने के लिए इस कार्यालय की पत्र संख्या 1817/13–2–1 दिनांक 03.12.2020 द्वारा सूचना अपर प्रमुख वन संरक्षण, इन्दिरानगर फौरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड देहरादून को प्रेषित कर दी गयी है। |

**संलग्नक :– उपरोक्तानुसार।**

भवदीय,

प्रभागीय वनाधिकारी,
नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल

**पत्रांक** 1471 / **उक्तदिनांकित।**

प्रतिलिपि अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण इन्दिरानगर फौरेस्ट कालोनी उत्तराखण्ड देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, पी0एम0जी0एस0वाई0 ज्योलीकोट को उनके सन्दर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रभागीय वनाधिकारी,
नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल

श्री उत्तम चन्द्र A.E/A–I

E.E

F:\Narendra Office Data\Land Transfer Branch Narendra\narendra land transfer.docx1/10/2022 10:58:03 AM

# कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, नैनीताल वन प्रभाग,नैनीताल।

E-mail:dfonainital@gmail.com Telefax.05942-236790

पत्रांकः– 1817 / 13–2-(1) दिनांक 3/12/2020

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, इन्दिरा नगर फॉरेस्ट कालोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय :– क्षतिपूर वृक्षारोपण हेतु चयनित सिविल भूमि जिसका नामान्तरण/हस्तान्तरण वन विभाग के पक्ष में किया गया है, को भारतीय वन अधिनियम 1927 के अन्तर्गत आरक्षित/संरक्षित घोषित किये जाने के सम्बन्ध में।

संदर्भ :– आपका पत्रांक 1390/1जी–5070 दिनांक 09.11.2020

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र के क्रम में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित सिविल सोयम भूमि वन विभाग के पक्ष में जिलाधिकारी, नैनीताल द्वारा नामान्तरण/हस्तान्तरण की कार्यवाही पूर्ण की जा चुकी है, का विवरण निम्नानुसार मय निर्धारित प्रारूप में परियोजनावार संलग्न कर आपके अवलोकनार्थ प्रेषित किया जा रहा है।

| क्र0 सं0 | प्रस्ताव संख्या | मार्ग का नाम | लम्बाई (किमी0) | प्रत्यावर्तित वनभूमि (है0) | क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित व नामान्तरित/हस्तान्तरित भूमि का विवरण | टिप्पणी |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FP/UK/ROAD /15356/2015 | बजून अधौड़ा मोटर मार्ग के किमी0 3 से अक्सू (गैर खेत) मोटर मार्ग | 6.50 | 3.87 | जनपद नैनीताल में तहसील धारी, पट्टी–गरगड़ी, ग्राम ककोड़ के अन्तर्गत 9(3)ड0 खाता संख्या–55 के खसरा नं0 40 मध्ये 7.74 है0 | वनभूमि हस्तान्तरण की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त। प्रकरण विधिवत स्वीकृति हेतु प्रेषित। |
| 2 | FP/UK/ROAD /23279/2016 | लोहाली से थुवा मोटर मार्ग | 9.900 | 4.9875 | जनपद नैनीताल में तहसील नैनीताल, ग्राम हरिनगर के अन्तर्गत 9(3)ड0 खाता संख्या–69 के खसरा नं0 302 रकवा 14.028 है0 भूमि मध्ये रकवा 9.975 है0 | वनभूमि हस्तान्तरण की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त। प्रकरण विधिवत स्वीकृति हेतु प्रेषित। |
| 3 | FP/UK/ROAD /19915/2016 | रातीघाट से बुधलाकोट मोटर मार्ग | 11.430 | 6.147 | जनपद नैनीताल में तहसील खनस्यू धारी पट्टी– गरगड़ी ग्राम ककोड़ के अन्तर्गत 9(3)ड0 खाता संख्या–55 के खसरा नं0 40 मध्ये 12.294 है0 | वनभूमि हस्तान्तरण की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त। प्रकरण विधिवत स्वीकृति हेतु प्रेषित। |

**संलग्नक :– यथोपरि।**

भवदीय,

प्रभागीय वनाधिकारी,
नैनीताल वन प्रभाग,नैनीताल।

**पत्रांक :– 1817 /उक्तदिनांकित।**

प्रतिलिपि मुख्य वन संरक्षक, कुमाऊँ, उत्तराखण्ड, नैनीताल को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि वन संरक्षक, दक्षिणी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, नैनीताल को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि जिलाधिकारी, नैनीताल को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि अधिशासी अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0 सिंचाई खण्ड, ज्योलीकोट को इस आशय से प्रेषित उक्त मार्गो के प्रमाण पत्र की एक–एक प्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

प्रभागीय वनाधिकारी,
नैनीताल वन प्रभाग,नैनीताल।

# प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद नैनीताल में लोहाली से थुवा मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 4.9875 है0 वन भूमि का गैरवानिकी कार्यो हेतु पी0एम0जी0एस0वाई0 को प्रत्यावर्तन किया जाना है। उपरोक्त कार्य हेतु जनपद नैनीताल में तहसील नैनीताल, ग्राम हरिनगर के अन्तर्गत 9(3)ड0 खाता संख्या–69 के खसरा नं0 302 रकुव 14.028 है0 भूमि मध्ये रकुवा 9.975 है0 भूमि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग को हस्तान्तरित की गयी है। सन् 1893 की राजपत्र के अनुसार यह भूमि संरक्षित वन क्षेत्र है, तथा उक्त भूमि की अमलदरामत राजस्व विभाग से वन विभाग के पक्ष में कर दिया गया है एवं इसकी वर्तमान स्थिती संरक्षित वन की है। इस हेतु इस भूमि पृथक से संरक्षित वन क्षेत्र घोषित किये जाने की आवश्यकता नहीं है।

प्रभागीय वनाधिकारी,<br>
नैनीताल वन प्रभाग, नैनीताल।

...नीताल।

आवक 1175
दिनांक 17-1-19

## आदेश

उपजिलाधिकारी कोश्याकुँटोली के पत्र संख्या 39 / र0का0 / 2018–19 दिनांक 21 दिसम्बर, 2018 के कम में लोहाली से थुवाब्लाक हेतु मोटर मार्ग हेतु वन पंचायत हरिनगर हरतोला के नाम दर्ज 14.028 है0 भूमि में से 9.975 है0 गैर जमीदारी विनाश श्रेणी 9(3) के खाता संख्या 69 के खसरा नं0 302 भूमि को क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित की गयी है।

उक्त कम में सचिव राजस्व अनुभाग–2 उत्तराखण्ड शासन द्वारा शासनादेश संख्या 111 / XXViii(7) 50(39)2015 / 2014 दिनांक 9 जुलाई 2015 में यह भी उल्लेख किया गया है जिन योजनाओं पर प्रशासनिक विभाग द्वारा अनुमोदन प्रदान कर दिया गया है और उनका कियान्वयन भूमि की अनुल्बधता के कारण नही हो पा रहा है उन परियोजनाओं / भवनों के निर्माण हेतु राज्य सरकार की भूमि (प्रशासकीय विभाग की भूमि को छोड़कर) एक विभाग से दूसरे विभाग को हस्तान्तरित करने का अधिकार तत्काल प्रभाव से पूर्व निर्गत कार्यालय आदेश दिनांक 15 फरवरी 2002 में निहित शर्तो के अधीन जिलाधिकारियों को प्रदान किया जाता है।

अतः शासनादेश संख्या 111 / XXViii(7) 50(39)2015 / 2014 दिनांक 9 जुलाई 2015 व राजस्व विभाग के शासनादेश संख्या 1887 / XViii(II) 50(39)2015 / दिनांक 30.07.2015 एव उपजिलाधिकारी, कोश्याकुँटोली के पत्र संख्या 39 / र0का0 / 2018–19 दिनांक 21 दिसम्बर, 2018 के कम में लोहाली से थुवाब्लाक मोटर मार्ग हेतु वन पंचायत हरिनगर हरतोला की गैर जमीदारी विनाश श्रेणी 9(3) ङ के खाता संख्या 69 के अन्तर्गत बंजर भूमि के खसरा नम्बर 302 रकवा 14.028 है0 भूमि मध्ये रकवा 9.975 है0 भूमि को क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण / नामान्तरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है। तदनुसार आदेश का अमल द्ररामद राजस्व अभिलेखों में दर्ज हो।

ह0 / –
(विनोद कुमार सुमन)
जिलाधिकारी नैनीताल।

**कार्यालय जिलाधिकारी नैनीताल।**

पत्रॉक 1540 / 12–ज्येड0ए0सी0 / 2018, दिनॉक 10 जनवरी, 2019

प्रतिलिपि :–

1– प्रभागीय वनाधिकारी नैनीताल वन प्रभाग नैनीताल।
2– अधिशासी अभियन्ता सि0ख0 पी0एम0जी0एस0वाई0 ज्योलीकोट, नैनीताल।
3– उपजिलाधिकारी / तहसीलदार कोश्याकुँटोली को इस आशय से प्रेषित कि राजस्व अभिलेखों में आदेश का अंकन करने के उपरान्त खतौनी की प्रति याचक विभाग को प्रेषित करते हुए इस कार्यालय को भी अगत कराने का कष्ट करें।

अपर जिलाधिकारी
नैनीताल।

Rab... J.A

# उद्धरण खतौनी नॉन ज्येड0ए0

...ारहल्लोला परगना धनियाकोट तहसील कोश्यॉं कुटौली, जिला नैनीताल, फसली वर्ष 1417 से 1422 फसली तक

| खातेदार का नाम व पिता का नाम / निवास स्थान | मौमिक अधिकार वर्ष | खसरा संख्या | क्षेत्रफल | लगान | विवरण |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 07–13 |
| श्रेणी 9(3)3- कृषि योग्य अन्य बंजर भूमि: वन पंचायत | – | 302 म<br>1090 म<br>1091 म<br>1163 म | 14.028<br>2.014<br>6.058<br>0.100 | | जिलाधिकारी महोदय नैनीताल के आदेश पत्रांक 1540/12 उ0जे0 ए0 सी0/2018 दिनांक 10-1-2019 के अनुसार शासनादेश संख्या 111/XXVIII(7)50(39) 2015/2019 दिनांक 9 जुलाई 2015 व राजस्व विभाग के शासनादेश संख्या 1887/XVIII(11)50(39) 2015/दिनांक 30-7-2015 एवं उपजिलाधिकारी कोश्यॉं कुटौली के पत्र संख्या 39/रा0 स0/2018-19 दिनांक 31 दिसम्बर 2018 के क्रम में लोहाली से चुवाखाल मोटर मार्ग हेतु वन पंचायत हरीनगर हल्लोला की गैर जमींदारी विनाश श्रेणी 9(3)3 के खाता संख्या 69 के अन्तर्गत बंजर भूमि के खसरा नम्बर 302 रकबा 14.028 है0 भूमि मध्ये रकबा 9.975 है0 भूमि को क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण/नामान्तरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है इसे अमलदरामद किया गया। |
| | योग | 4 | 22.200 | | |

ह0 अ0 रा0 नि0<br>ह0 लेख0<br>16-1-19

DJoshi<br>17-1-19<br>रा0 उ0 नि0 मको0।